न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—31/2016/223 (2016/00031)

1. युधिष्ठिर सिंह पुत्र राजसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पीपलाज, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र राजसिंह,
2. सज्जन कंवर पत्नि राजसिंह,
समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम पीपलाज, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 15.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 52/2014.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 3 .

निर्णय

दिनांकः— 20.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय एव डिक्री दिनांक 15.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्षएक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188, एवं 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 471 रकबा 1.32 है0, 1558 रकबा 0.9600 है0 जो कि ग्राम पीपलाज, तह0 केकड़ी में स्थित है जिस पर वादी का बतौर खातेदार कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं विवादित भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा होकर मौके पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादीगण उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए भी जबरन वादी की भूमि को हड़पना चाहते है तथा लड़ाई झगड़ा करते है एवं वादी को भूमि से बेदखल करने की धमकी देने के कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है । अन्त में वाद स्वीकार कर डिक्री करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.6.2015 द्वारा वादी के वाद को निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गोर नहीं किया कि अपीलांट को वाद में बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं बिना नोटिस दिये एकतरफा में निर्णय प्रदान किया है जो न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर भी गोर नहीं किया कि विवादित भूमि खाता संख्या नया 324 पुराना 129 खसरा नंबर 471 रकबा 1.3200 है0 एवं खसरा नंबर 1558 रकबा 0.960 है0 जो कि ग्राम पीपलाज में स्थित है जिस पर वादी का बतौर खातेदार कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं विवादित भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए भी जबरन वादिया की भूमि को हड़पना चाहते है तथा लड़ाई झगड़ा करते है एवं वादी को भूमि से प्रतिवादी बेदखल करने की धमकी देने के कारण वादीया को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा है । अधी0न्याया0 ने उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जिस पर पत्रावली प्रतिवादी का जवाब दावा में चल रही थी किन्तु अधी0न्याया0 ने बिना जवाबदावा लिये एवं बिना अभिकथनों के आधार पर तनकियात कायम किये बिना ही वाद को लोक अदालत में रखकर अपीलांट को नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये वाद को खारिज कर दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.6.2015 पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया एवं एकतरफा में निर्णय पारित किया है जिसकी जानकारी पटवारी हल्का से हाल में दिनांक 3.1.2016 को होने पर प्रार्थिया ने दिनांक 4.1.2016 को केकड़ी जाकर निर्णय व डिक्री की जानकारी की तथा दिनांक 4.1.2016 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 6.1.2016 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में विलंब को माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये । दिनांक 11.6.2014 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादीगण की ओर से श्री रामअवतार मीणा अधिवक्ता ने

उपस्थिति दी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का पॉवर पेश किया । तत्पश्चात् दिनांक 7.7.2014 की आदेशिका के अनुसार वकुलाफ फरिकेशन उपस्थित पत्रावली जवाब हेतु आगामी तारीख नियत की गई । तत्पश्चात् लगभग 5 पेशियों तक पत्रावली प्रवितादीगण के जवाब में नियत रही किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया । दिनांक 8.5.2015 को पत्रावली को लोक अदालत में रखने के आदेश दिये गये तथा दिनांक 15.6.2015 को अधी0न्याया0 ने वादी एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थित में वादी/अपीलांट के वाद निरस्त करने की डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 की पत्रावली से यह कहीं भी स्पष्ट नही होता है कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण को लोक अदालत मे रखने के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये हो । जब पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब में विचाराधीन थी तो अधी0न्याया0 को वाद को लोक अदालत में रखकर निर्णित करने का अधिकार नही था । लोक अदालत में केवल वे ही प्रकरण रखे जा सकते है जिनमें पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया हो किन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा होना भी प्रमाणित नहीं है। विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया पूर्ण किये बिना वाद को अपीलांट एवं रेस्पो0 की अनुपस्थिति में निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.6.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को जवाब, साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर